

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

संचिका संख्या :- 10/न-37/2021.....

पटना, दिनांक.....

विभागीय पत्रांक-1189 दिनांक-23.06.1997 द्वारा VIDYA NIKETAN GIRL'S HIGH SCHOOL, MANPUR BAIRIYA, BAIRIYA, PATNA को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय के नाम VIDYA NIKETAN GIRL'S HIGH SCHOOL, MANPUR BAIRIYA, BAIRIYA, PATNA में परिवर्तन हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। अभिलेखों/कागजातों की समीक्षोपरांत सी० बी० एस० ई० ऐफिलियेशन बायलॉज के कंडिका 15.5 में वर्णित प्रावधानानुसार विभागीय सक्षम समिति द्वारा विद्यालय के नाम का परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव निदेशानुसार विभागीय पत्रांक-1189 दिनांक-23.06.1997 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित विद्यालय का नाम "VIDYA NIKETAN GIRL'S HIGH SCHOOL, MANPUR BAIRIYA, BAIRIYA, PATNA" के स्थान पर "VIDYA NIKETAN SCHOOL, MANPUR BAIRIYA, BAIRIYA, PATNA" के रूप में विद्यालय के नाम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

शेष सभी कंडिका यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार विमल)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....30/3/2022

ज्ञापांक :- 10/न-37/2021.....307

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110092/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/ VIDYA NIKETAN SCHOOL, MANPUR BAIRIYA, BAIRIYA, PATNA को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-13/न4-015/96तें0- :  
तें0, प्रो एवं वयस्क शिक्षा विभाग ।

प्रेम्क,

कुमार गोरी शंकर सिन्हा,  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

सेवा में,

सगिब,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,  
शिक्षा केन्द्र-2, कॉम्प्युनिटी सेन्टर,  
प्रीत बिहार, विकास मार्ग,  
दिल्ली-110092 ।

पटना, दिनांक- जून, 97 ।

विषय:- विद्या निकेतन बालिका उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

अपर्युक्त विषय को जोर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार सरकार सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार को विद्या निकेतन बालिका उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री, एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

2- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 1-9-97 से प्रभावी होगा ।

3- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह/ - कुमार गोरी शंकर सिन्हा  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

सुक्राम/20-6-97

आपकांक-

1189

पटना, दिनांक- 23 जून, 97 ।

प्रतिनिधि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, विद्या निकेतन बालिका उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3- विद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा ।

शिक्षण सतत गुप्ता  
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।